भारत सरकार

रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड

सं. 96/सेक (ई)/टी आर-1/1 नई दिल्ली, दि 24-7-96

स्थायी आदेश सं. 15

मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रे.सु.ब., सब भारतीय रेलें
मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रे.सु.वि.ब., रेलवे बोर्ड

विषय : आ पी एफ/आर पी एस एफ कर्मचारियों का स्थानांतरण।

स्थायी आदेश सं. 2/96 दि. 27.5.96 के क्रम में आर पी एफ/आर पी एस एफ के अधिकारियों और भर्ती हुए सदस्यों की तैनाती के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं :

1. विभिन्न पदों के लिए तैनाती का कार्यकाल निम्नानुसार होगा :

I)	उच्च अधिकारी	एक पद पर 4 वर्ष
II)	निरीक्षक स्वतंत्र रुप से चौकी के प्रभारी	एक पद पर 4 वर्ष
III)	बल के अन्य भर्ती हुए सदस्य	एक पद पर 5 वर्ष

IV) एस आई बी, अग्निशमन शाखा, अभियोजन शाखा, ड्राइवर सहायक और सुरक्षा सहायक को योग्यता के आधार पर संबंधित सी एस सी द्वारा एक और कार्यकाल की अनुमति दी जा सकती है सी एस सी को अधिकार दिया जाएगा कि उपर्युक्त (II) और (III) में वर्णित बल के भर्ती हुए सदस्यों को उनकी तैनाती के सामान्य कार्यकाल के आगे एक और वर्ष के लिए ठहने के लिए अनुमोदन प्रदान कर सकें।

2. दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई आदि स्टेशनों पर बहुत से पद हैं और कर्मचारियों का केन्द्रीकरण है। संबंधित सी एस सी द्वारा बल के सदस्यों को ऐसे स्टेशनों पर अधिक से अधिक दो कार्याकालों तक बने रहने की अनुमति दी जा सकती है।

3. कांस्टेबलों और नायकों के स्थानांतरण यथासंभव मंडल के अंतर्गत ही किए जाएं।

4. अन्तर्रेलवे स्थानांतरण और आर पी एस एफ से आर पी एफ और आर पी एफ से आर पी एस एफ को स्थानांतरण के लिए पात्रता अवधि 5 वर्ष होगा।

कृपया पावती दें।

जोगिन्दर सिंह
महानिदेशक/आर पी एफ

प्रतिलिपि :
सब रेलों के मंडल सुरक्षा आयुक्त